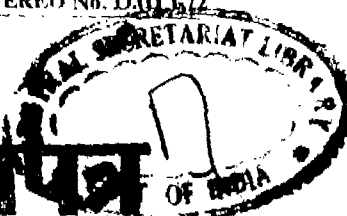


भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 558] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 1978/अग्राहायण 29, 1900
No. 558] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 20, 1978/AGRAHAYANA 29, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1978

का. आ. 719(अ).—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग), की अधिसूचना सं. का. आ. 365 (अ) दिनांक 23 मई, 1977 (श्री ए. एन. ग्रोवर जांच आयोग से संबंधित) जैसा कि

उसका बाद में संशोधन हुआ है, मैं आगे निम्नीलिखित संशोधन करती हूँ,
अर्थात् :—

“उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में ‘31 दिसम्बर, 1978’ को या उसके पूर्व शब्दों,
अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर ‘31 मार्च, 1979’ को या उसके पूर्व शब्द,
अंक तथा अक्षर रखे जाएंगे।”

[सं. 375/16/77-ए. पी. डी.-3]

महेश्वर प्रसाद, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & A. R.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 1978

S. O. 719(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms) No. S. O. 365(E) dated 23rd May, 1977 (relating to Commission of Inquiry consisting of Shri A. N. Grover) as subsequently amended, namely :—

“In paragraph 4 of the said notification for the words, figures and letters ‘on or before the 31st day of December, 1978’ the words, figures and letters ‘on or before the 31st day of March, 1979’ shall be substituted.”

[No. 375/16/77-AVD-III]

MAHESHWAR PRASAD, Secy.